भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2888
उत्तर देने की तारीख 13 अगस्त, 2026

संचार साथी और दूरसंचार धोखाधड़ी रोकथाम पारिस्थितिकी तंत्र

2888. # **श्री अमर पाल मौर्यः**
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः
डॉ. सतीश पूनियाः
श्रीमती साधना सिंहः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) संचार साथी पोर्टल एवं मोबाइल एप के प्रारंभ होने के बाद से आज की तिथि तक दूरसंचार संबंधी धोखाधड़ी की रोकथाम के क्षेत्र में इनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूरसंचार विभाग, बैंकों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच धोखाधड़ी संबंधी शिकायतों पर वास्तविक समय में कार्रवाई करने हेतु कोई संस्थागत समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है;
(ग) क्षेत्रीय भाषाओं और पहली बार मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के लिए 'संचार साथी' सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) यदि हाँ, तो क्या भारत में बेचे जाने वाले मोबाइल उपकरण पर 'संचार साथी' ऐप की उपलब्धता अनिवार्य करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और
(ङ) 'संचार साथी' के तहत नागरिक केंद्रित संचार सुरक्षा साधन को सुदृढ़ करने के लिए भावी रूपरेखा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के तहत, साइबर अपराध से संबंधित मामले गृह मंत्रालय (एमएचए) को आवंटित किए गए हैं। हालांकि, दूरसंचार विभाग (डीओटी)

साइबर धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के प्रयास करता है। डीओटी का संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप, नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। डीओटी विश्लेषण करने और दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को ढूढंने के लिए इस क्राउड-सोर्स्ड डेटा का उपयोग करता है। दिनांक 5.8.2026 तक, संचार साथी पर नागरिकों द्वारा साझा किए गए संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की 11.76 लाख रिपोर्टों के आधार पर, 52.29 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं।

(ख) दूरसंचार विभाग ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के साथ द्विपक्षीय सूचना साझा करने के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। डीआईपी पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां, 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, बैंक, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवा प्रदाता, भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं सहित 1,600 से अधिक संगठन शामिल हैं।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय स्तर पर मोबाइल प्रयोक्ताओं द्वारा उपयोग के लिए संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। भारत में बेचे जाने वाले मोबाइल उपकरणों पर संचार साथी ऐप की उपलब्धता अनिवार्य नहीं है। संचार साथी, निम्नलिखित के संबंध में नागरिकों को सक्षम बनाकर दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नागरिक-केंद्रित प्रयासों को मजबूत करने में सहायता करता है:

i. संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करना,

ii. अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शनों का पता लगाना और उन कनेक्शनों की रिपोर्ट करना जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं है या जो उन्होंने नहीं लिए हैं,

iii. गुम/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट करना, और

iv. मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता की जांच करना।
